

अज अदालत सहायक कलेक्टर (S.D.O.) मुकाम- शिवगंज जिला सिरौही

वादी

बनाम






प्रतिवादीगण

श्रीमति श्रवणकुँवर

नाथूसिंह वगैरा व अन्य

मुकदमा वाद अ.धा.88,188 व प्रा.पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट.

प्रकरण सं० 07/2021

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बरव तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
0.07.21	<p>वादीनी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 ,188 आरटीएक्ट एवं सपठित धारा 136 एलआर. एक्ट. विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में हमारे समक्ष पेश किया। हमने प्रस्तुत वाद पत्र व संलग्न दस्तावेजों की प्रतियों का अवलोकन कर उस पर मनन करने पर अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टया आश्वस्त होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते इंतजार तामीली एवं जवाब हेतु दिनांक 23.09.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर शिवगंज</p>	<p>राम श्रवणकुँवर</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p>
39.21	<p>पत्रावली पेश वहील पक्षार डण। प्रतिवादीगण के सम्मन तामीली के प्राप्त होने से शा. मिदक के। वादी अधिवक्ता ने प्रतिक्रिया के साथ प्रतिवादीगण का 1,56 एवं 4व 2 की प्रतिक्रिया ले उनके कारिलान की आगे ले सहायक पत्र पेश किया जो शा. मिदक के विशेष प्रतिवादीगण- सम्मन तामीली के बाद उपस्थित नहीं जा के अधिवक्ता डण। न्यायालय में एक अवसर प्रदान किया जाकर पत्रावली वाले अवसर पर दिनांक 14.10.21 को ई डेमा लिखा लिख में पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर शिवगंज (सिरौही)</p>	
10.21	<p>पत्रावली को ई डेमा लिखा लिख में पेश हुई। वाद पक्षार उपस्थित। वाद पत्र में वादीशा डण पाय श्या अनुशेष (विवादक भूमि में वाली 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा) के लक्ष में तहसीलदार शिवगंज ने शुद्धि पत्र 26/14.10.21 का हिस्सा शुद्धि कर जमावदी की नकल पेश की है जिसमें 3/4 हिस्सा का स्पष्ट उल्लेख है। वाद पत्र में अथ नोई कार्यवाही शेष नहीं होने से एक अथ नोई रिजिस्ट्रेशन शेष नहीं होने से वादीनी का वाद प्रशासन को लगे डेमा नोई में खारिज डण। जात ही पत्रावली फलक नुमाद लेटर नम्बर ले डेमा डे।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर शिवगंज (सिरौही)</p>	